रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून5, 2015/ज्येष्ठ15,1937
No. 153] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सं. 19/2015–2020

विषयःपोत लदान–पूर्व जांच एजेंसी (पी एस आई ए) के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015–2020, दिनांक 18.05.2015 द्वारा यथा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रकिया पुस्तक के पैरा 2.55 और 2.56 में संशोधन।

फा. सं. 01/53/162/विविध/पीएसआईए/एएम 15/एस–5/आई सी.—विदेष व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेषक, विदेष व्यापार एतदद्वारा सार्वजनिक संख्या 12/2015–2020, दिनांक 18.05.2015 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं:

1. **सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015–2020, दिनांक 18 मई, 2015 के पैरा 4 में संशोधन**
   संशोधित पैरा 4 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

   विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा पोत लदान–पूर्व जाँच एजेंसियों (पीएसआईए) (दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार) को विभिन्न देशों में स्थित अपने कार्यालयों/शाखाओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे को अद्यतन करने और अपने प्रचालन क्षेत्र का विस्तार करने हेतु एएनएफ 2ठ (नया प्रारूप) में **दिनांक 18 जून, 2015** तक नया आवेदन करना होगा यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। **दिनांक 18 जून, 2015 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर जुलाई, 2015 के पश्चात विचार किया जाएगा।**

2. **सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015–2020, दिनांक 18 मई, 2015 के पैरा 5 में संशोधन**

संशोधित पैरा 5 को इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार नए आवेदक भी जो पोतलदान पूर्व निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) के रूप में**(दिनांक 1.7.2015 से)** मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, एएनएफ 2ठ (नया प्रारूप) में निर्धारित प्रपत्र में **दिनांक 18 जून, 2015** तक आवेदन कर सकते हैं। **दिनांक 18 जून, 2015 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर जुलाई 2015 के पश्चात विचार किया जाएगा।**

3. **निम्नलिखित पैरा–7 को सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015–2020, दिनांक 18 मई, 2015 में प्रविष्ट किया गया हैः**

7. एएनएफ–2ठ की क्रम सं.9 के तहत शर्त के अनुसार आवेदक प्रारंभ में बैंक गारंटी के बिना अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके आवेदनों को केवल बैंक गारंटी प्रस्तुत न करने की वजह से अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, आवेदकों को विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें पीएसआईए के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व बैंक गारंटी या समतुल्य वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

पी एस आई ए के रूप में पात्रता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदक फिलहाल बैंक गारंटी के बिना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, उन्हें पीएसआईए के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व बैंक गारंटी या समतुल्य वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th June, 2015

No. 19/2015-2020

Subject: Amendment in paragraph 2.55 and 2.56 of Handbook of Procedures of FTP, 2015-20 as notified by Public Notice No.12/2015-2020, dated 18.5.2015–Pre-Shipment Inspection Agency (PSIA).

F. No. 01/53/162/Misc/PSIA/AM15/S-5/IC.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Public Notice No.12/2015-2020, dated 18.5.2015:

1. **Amendment in paragraph 4 of Public Notice No.12/2015-2020 dated 18th May, 2015**

Amended paragraph 4 shall read as under:—

4. The existing PSIAs (as on 01.04.2015) will have to file fresh applications in ANF 2L (new format) latest by **18th June, 2015** for updation of details of their offices/branches/authorised representatives in various countries etc. and expansion of their areas of operation, if they so desire, as per the above mentioned procedure laid down in revised paragraph 2.55 of HBP of FTP 2015-20.**Applications received after 18th June, 2015shall be taken up for consideration after July, 2015.**

2. **Amendment in paragraph 5 of Public Notice No.12/2015-2020 dated 18th May, 2015**

Amended paragraph 5 shall read as under:—

5. New applicants who desire to be recognised as Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) (**w.e.f. 01.07.2015**) may also apply by **18th June, 2015** in proforma prescribed in ANF 2L (new format) as per the above mentioned procedure laid down in revised paragraph 2.55 of HBP of FTP 2015-20. **Applications received after 18th June, 2015shall be taken up for consideration after July, 2015.**

3. The following paragraph 7 is inserted in the Public Notice No.12/2015-2020 dated 18th May, 2015:

7. The applicants may submit their applications initially without bank guarantee, as required under S.No.9 of ANF-2L. Their applications would not be rejected only on the ground of non-submission of bank guarantee. Applicants would, however, be required to submit bank guarantee or an equivalent financial instrument, before they are notified as PSIA, by the competent authority, as per FTP/HBP 2015-20.

Effect of this Public Notice

The last date for submitting the applications for entitlement as PSIA has been extended. Applicants can, for the time being, submit applications initially without bank guarantee. However, they shall be required to submit bank guarantee or an equivalent financial instrument before they are notified as PSIA.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.